विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में **'कार्य संविदा पर मूल्य परिवर्धित कर (वैट) का आरोपण एवं संग्रहण'** एवं **'अप्रधान खनिजों से प्राप्तियाँ'** पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 34 अनुच्छेद सम्मिलित है, जिनमें राशि ₹ 228.02 करोड़ अन्तर्निहित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2012-13 में ₹ 66,913.01 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 74,470.37 करोड़ थी। कर राजस्व ₹ 33,477.70 करोड़ तथा कर-इतर राजस्व ₹ 13,575.25 करोड़ को समाविष्ट करते हुए सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि ₹ 47,052.95 करोड़ थी। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 27,417.42 करोड़ (संघ के विभाज्य करों में से राज्य का भाग: ₹ 18,673.07 करोड़ तथा सहायतार्थ अनुदान: ₹ 8,744.35 करोड़) थी।

(अनुच्छेद 1.1)

दिसम्बर 2013 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति की समीक्षा से पता चलता है कि 2,896 प्रतिवेदनों में ₹ 4,592.63 करोड़ राशि के 9,477 अनुच्छेद जून 2014 के अन्त में बकाया थे।

(अनुच्छेद 1.6)

II. बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट

'कार्य संविदा पर मूल्य परिवर्धित कर (वैट) का आरोपण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- कार्य संविदा की प्राप्तियों के वर्गीकरण के लिये पृथक से उप-शीर्ष नहीं था जिसके कारण कार्य संविदा से कुल प्राप्तियों के सम्बन्ध में विभाग के कार्य निष्पादन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 2.4.7)

- विवरणियों के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पाया कि गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान औसतन 66 प्रतिशत व्यवहारियों ने या तो विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थी या फिर शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत की थी। विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने या शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत करने के कारणों को जांचने के लिये विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि चार व्यवहारियों का कर निर्धारण शून्य टर्नओवर पर किया गया जबकि उनका टर्नओवर ₹ 91.20 करोड़ था, जिस पर कर दायित्व ₹ 1.57 करोड़ था।

(अनुच्छेद 2.4.8)

- अवार्डरों से प्राप्त होने वाले प्रपत्र वैट-40 की प्राप्ति पर निगरानी हेतु तथा जहां पर यह प्राप्त हुए हों, वहां सम्बन्धित व्यवहारियों के पंजीयन एवं कर निर्धारण हेतु इन सूचनाओं के उपयोग के लिये कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी। 12 ठेकेदार जिनका कर दायित्व ₹ 93.80 लाख था विभाग में पंजीकृत नहीं पाये गये।

(अनुच्छेद 2.4.9)

- पांच डब्ल्यू.टी. वृत्तों के निर्धारण अधिकारियों द्वारा 2008-09 से 2012-13 के दौरान 41,767 प्रपत्र वैट-41, 527 अवार्डरों को जारी किये गये, यद्यपि इन्हें जारी करने के लिये वे अधिकृत ही नहीं थे। पांच प्रकरणों में अवार्डरों द्वारा स्त्रोत पर काटे गये कर (टी.डी.एस.) को विलम्ब से जमा कराने पर, उन पर ब्याज तथा शास्ति ₹ 32.97 लाख आरोपित नहीं की गयी जबकि एक अन्य प्रकरण में टी.डी.एस. ₹ 39.12 लाख कम जमा कराया गया।

(अनुच्छेद 2.4.10 तथा 2.4.11)

- नौ प्रकरणों में उप-ठेकेदारों को करयोग्य टर्नओवर में से ₹ 79.76 करोड़ के टर्नओवर की छूट मुख्य ठेकेदारों के द्वारा कर चुकाये जाने को सुनिश्चित किये बिना ही स्वीकार की गयी।

- नौ मुख्य ठेकेदारों द्वारा उप-ठेकेदारों को भुगतान करते समय टी.डी.एस. राशि ₹ 2.39 करोड़ की कटौती नहीं की गयी। अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं पाया गया जिससे यह पता चल सके कि इस टर्नओवर पर मुख्य ठेकेदारों द्वारा कर चुकाया गया था।

(अनुच्छेद 2.4.12)

- निर्धारण अधिकारियों द्वारा करयोग्य टर्नओवर के निर्धारण के लिये राजस्थान वैट नियमों में बनायी गयी प्रक्रिया का सही अनुसरण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप करयोग्य टर्नओवर का कम निर्धारण हुआ तथा इससे ब्याज ₹ 0.63 करोड़ सहित कर ₹ 2.39 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.13.1)

- करमुक्ति शुल्क की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप करमुक्ति शुल्क तथा ब्याज ₹ 12.85 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.14)

अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान संविदा ठेकेदारों को मोटर वाहनों के विक्रय पर रियायती कर का गलत लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.99 करोड़ के कर एवं ब्याज का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.7)

राज्य के बाहर से, व्यवसाय में उपयोग या उपभोग करने के लिये माल क्रय किया, जिस पर प्रवेश कर आरोपित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.72 करोड़ के कर एवं ₹ 1.69 करोड़ ब्याज की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 2.9)

III. वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

अवधि अप्रेल 2010 से मार्च 2013 में 4,054 वाहनों से सम्बन्धित मोटर वाहन कर व विशेष पथकर ₹ 12.37 करोड़ का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.4)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथकर, अधिभार और शास्ति ₹ 2.81 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 3.5)

IV. भू-राजस्व

दो मामलों में, विभाग द्वारा बाड़मेर की धार्मिक संस्था तथा राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटित भूमि की कीमत की गणना जिला स्तरीय समिति की गलत दरों को लागू कर की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.81 करोड़ राजस्व की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.5)

भू-उपयोग परिवर्तन कराये बिना भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.87 करोड़ संपरिवर्तन प्रभारों की अवसूली अथवा कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.6)

तीन मामलों में सौर ऊर्जा उत्पादकों को जिला स्तरीय समिति दरों के 10 प्रतिशत की रियायती दर पर भूमि के आवंटन के लिये निर्धारित सीमा से 421.165 बीघा भूमि अधिक आवंटित किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 95.90 लाख की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.8)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

तीन उप पंजीयकों ने शैक्षणिक संस्थानों द्वारा क्रय सम्पत्तियों का मूल्य आवासीय दर के 1.5 गुणा के स्थान पर कृषि दर पर निर्धारित किया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 59.34 लाख का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.4)

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 44(ईई)(ii) के तहत मुख्यतयारनामा धारकों को उपलब्ध मुद्रांक कर के निम्न दर का लाभ अपात्र व्यक्तियों को अनियमित रूप से दिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 60.54 लाख के मुद्रांक कर का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.6)

प्लाटों/फ्लैटों/दुकानों के विक्रय के 42 दस्तावेजों से प्रकट हुआ कि विकासकर्ता विकसित सम्पत्ति को रखने एवं निस्तारित करने के हकदार थे। इनका कन्वैन्स विलेख में वर्गीकरण होना चाहिए था जबकि इन्हें विकास अनुबन्ध माना गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 13.91 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.7.1)

विकास अनुबन्धों के गलत वर्गीकरण तथा सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 26.48 करोड़ का कम आरोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.7.2)

उप पंजीयक द्वारा अधिसूचना दिनांक 24 मार्च 2005 के उल्लंघन में सम्पत्ति को हेरिटेज सम्पत्ति मानते हुए मुद्रांक कर में छूट अनुमत्य की गयी जबकि सम्पत्ति न तो हेरिटेज सम्पत्ति थी न ही पर्यटन विभाग द्वारा ऐसी घोषित थी। उप पंजीयक द्वारा सम्पत्ति को आंशिक औद्योगिक और आंशिक आवासीय मानते हुये अवमूल्यांकन भी किया गया जिनके परिणामस्वरूप ₹ 4.39 करोड़ की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 5.8)

VI. राज्य आबकारी शुल्क

केन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट द्वारा आई.एम.एफ.एल. तथा बीयर पर स्पेशल वेण्ड फीस राशि ₹ 3.69 करोड़ न तो जमा कराये गये ओर न ही सरकार द्वारा मांगे गये जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 3.69 करोड़ स्पेशल वेण्ड फीस की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 6.5)

जिला आबकारी अधिकारी, अलवर के अन्तर्गत 1.55 लाख बल्क लीटर (19,851 कार्टन) बीयर जिसमें राशि ₹ 66.66 लाख का आबकारी शुल्क सन्निहित था। पांच ब्रेवरीज द्वारा भेजे जाने पर गन्तव्य स्थान पर सुपुर्दगी कम की गयी अथवा नहीं की गयी। ब्रेवरीज द्वारा न तो शुल्क अदा किया गया और न ही विभाग द्वारा मांगा गया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 66.66 लाख की राज्य आबकारी शुल्क की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 6.6)

जिला आबकारी अधिकारी, बहरोड़ के अन्तर्गत बीयर के 7,609 कार्टन उनके उत्पादन की दिनांक से छः माह से अधिक अवधि तक विक्रय न होने के कारण भण्डागारों में अपेय हो चुके थे। विभाग द्वारा न तो शुल्क की वसूली की गयी और न ही प्रकरण को आयुक्त, राज्य आबकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 29.41 लाख की राज्य आबकारी शुल्क की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 6.7)

जिला आबकारी अधिकारी, अलवर के अन्तर्गत मासिक स्टेटमेन्ट जुलाई 2012 की संवीक्षा में पाया गया कि 41.01 लाख बी.एल. बीयर के स्थान पर 40.06 लाख बी.एल. बीयर का उत्पादन दिखाया गया था जिससे अनुमत्य क्षति से अधिक क्षति 0.81 लाख बी.एल. बीयर पायी गयी। परिणामस्वरूप राशि ₹ 36.92 लाख की राज्य आबकारी शुल्क की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 6.9)

VII. कर-इतर प्राप्तियाँ

'अप्रधान खनिजों से प्राप्तियाँ' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताओं/कमियों का पता चला।

- दस सहायक खनि अभियंताओं/खनि अभियंताओं के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 289 खनन पट्टेधारियों, अनुमति पत्रधारियों एवं ठेकेदारों से पर्यावरण प्रबन्धन निधि ₹ 6.53 करोड़ का संग्रहण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 7.4.10)

- अवैध खनन की जांच एवं अप्रधान खनन पट्टों के आवंटन के पांच मामलों में नौ समितियां/संयुक्त निरीक्षण दल गठित किये गये। इनमें से, मोडा पहाड़ के एक मामले में चार समितियां/संयुक्त जांच टीमें जबकि एक अन्य मामले में दो समितियों का गठन किया गया जिनके कोई सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। अवैध खनिज उत्खनन में कुल ₹ 177.08 करोड़ राजस्व निहित है।

(अनुच्छेद 7.4.11)

- चयनित 11 खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि 5,250 अपील के प्रकरणों में से 4,588 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा 662 प्रकरण विभाग के पास लंबित रहे।

(अनुच्छेद 7.4.12)

- सीकर जिले में नोबल मेटल के लिये आरक्षित क्षेत्र में चेजा पत्थर के खनन पट्टे स्वीकृत किये गये।

(अनुच्छेद 7.4.13)

- सात खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों में अधिशुल्क निर्धारण के 10,751 मामलों में से 8,177 मामलों का ही निपटान किया गया। शेष 2,574 अधिशुल्क निर्धारण प्रकरण 31 मार्च 2013 तक लंबित रहे। अधिशुल्क निर्धारण के निपटान की कोई समय सीमा निश्चित नहीं थी।

(अनुच्छेद 7.4.14.1)

- यह देखा गया कि 75 ठेकेदारों द्वारा चेजा पत्थर, बजरी, मुर्रम, साधारण मिट्टी इत्यादि खनिजों का बिना अल्पावधि अनुमति पत्र के अथवा अल्पावधि अनुमति पत्र में अनुमत्य मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक का खनन/उपयोग किया गया। अवैध रूप से उत्खनित खनिज की कीमत ₹ 8.33 करोड़ आंकी गई।

(अनुच्छेद 7.4.15)

- सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को अवधि 2009-10 से 2012-13 के दौरान जारी ₹ 10.41 करोड़ अधिशुल्क राशि के 1,969 अल्पावधि अनुमति पत्र, नौ खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों में अधिशुल्क निर्धारण हेतु लंबित रहे।

(अनुच्छेद 7.4.19)

- विभाग द्वारा 2004-05 से आन्तरिक लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की जा रही है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण भी नहीं किये गये। निर्धारित मात्रा से अधिक खनिज उत्खनन का पता लगाने के लिये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के मध्य कोई समन्वय नहीं पाया गया।

(अनुच्छेद 7.4.20)

एक पट्टेधारी द्वारा, खनि अभियंता द्वारा निर्धारित की गई मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन कर निर्गमन किया गया। जिसके परणिामस्वरूप खनिज क्वार्ट्ज एवं फैल्सपार पर अधिशुल्क की राशि ₹ 2.46 करोड़ की अवसूली/कम वसूली रही।

(अनुच्छेद 7.5)